जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2015/डी-407 दिनांकः- 18/2/2015

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 170वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	170.1	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 169वीं बैठक दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 169वीं बैठक दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2	170.2	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पत्रकार कॉलोनी धौलाई के आवासीय परिसर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः संशोधित भवन मानचित्र बाबत अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन के समय एयरपोर्ट से 20 किमी की परिधि से बाहर नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने का प्रावधान नहीं था, अतः पूर्व में 30 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन किये जा चुके है तथा मौके पर निर्माण भी किया जा चुका है। अतः वर्तमान नियमानुसार नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें। 4. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जारी आदेश दिनांक 04.10.2013 के अनुसार 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन के समय उक्त प्रावधान नही था। अतः उक्त आदेश के क्रम में पूर्व स्वीकृत एफ.ए.आर सहित समस्त एफ.ए.आर. क्षेत्र 15798.16 वर्गमीटर के

			लिए उक्त शुल्क लिया जावें। 5. पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन के समय बहुमंजिलें भवनों के लिए ली जाने वाली अमानत राशि व वर्षा जल संग्रहण हेतु ली जाने वाली अमानत राशि का प्रावधान नहीं था परन्तु अब है। अतः संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए उक्त अमानत राशि ली जावें। 6. संशोधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावें। 7. कुल निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर से अधिक कुल 25229.69 वर्गमीटर प्रस्तावित है। अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 8. 1.80 एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 9. प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावें कि अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व सेटबैक क्षेत्र में निर्मित मन्दिर को हटा लिया जावेंगा। 10. सेटबैक क्षेत्र में निर्मित अस्थाई टीनशेड़ व स्टिल्ट तल पर बनाए गए अस्थाई साईट ऑफिस/स्टोर को हटायें जाने बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावें। 11. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 12. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
3	170.3	पुर्नगठित भूखण्ड़ संख्या 56 से 64, श्याम विहार योजना, सांगानेर, जयपुर के समूह आवासीय परिसर के संशोधित मानचित्र अनुमोदन करने व अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. संशोधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावें। 4. पूर्व स्वीकृत एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। दिनांक 30.05.2014 व 03.09.2014 में आरक्षित दर के लिए जारी आदेश में उक्त योजना की आरक्षित दर निर्धारित नहीं है अतः उक्त आदेश में जोन–8 की विभिन्न योजनाओं की आरक्षित दर रूपये 10,000/–

			प्र.व.मी. से रूपये 12,000/- प्र.व.मी.निर्धारित है। अधिकतम रूपये 12,000/- प्र.व.मी. आरक्षित दर मानते हुए बेटरमेन्ट लेवी की गणना की जावें। 5. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार से जारी आदेश दिनांक 04.10.2013 के अनुसार 15.00 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन के समय उक्त प्रावधान नहीं था परन्तु अब है। अतः उक्त आदेश के कम में पूर्व स्वीकृत एफ.ए.आर. सहित समस्त एफ.ए.आर. क्षेत्र 10945.97 व.मी. के लिए उक्त शुल्क लिया जावें। 6. पूर्व प्रस्तुत मानचित्र वास्तुविद श्री पीयूष जैन के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये गये थे। अब संशोधित मानचित्र वास्तुविद श्री अशोक मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किये गये है। जिनका अण्डरटेकिंग प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तुविद श्री अशोक मिश्रा द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गई है। 7. स्वामित्व व बकाया के लिए उपायुक्त जोन-8 से रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 8. वर्षा जल संग्रहण के प्रावधान बाबत् अधिशाषी अभियन्ता (पी.एच.ई.) से रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 9. मौके पर बेसमेन्ट में किए गए अस्थाई मजदूरों के निवास को हटवा दिया गया है। 10. मोके पर बेसमेन्ट में रेम्प के नीचे के भाग को स्टोर के काम लिया जा रहा है, जिसे हटवा दिया गया है। 11. मौके पर विकलागों हेतु शौचालय का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है, पार्किंग में फ्लोरिंग का कार्य चल रहा है, ब्लॉक-ए में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। उक्त सभी निर्माण पूर्ण होने पर अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया जावें। 13. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 14. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जावे।
4	170.4	खसरा नम्बर 101/1, ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग

			उपयोग मे लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.8 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.748 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.8 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 5. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
5	170.5	भूखण्ड संख्या 9, 10, 11 व 12, निजी खातेदारी आवासीय योजना, द्वारकापुरी, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न लिये गये:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 3. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
6	170.6	खसरा नम्बर 129 से 137, 141, 142, 142/239 व 282/138, ग्राम-चिमनपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000

			वर्ग मीटर से अधिक है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति पत्र लिया जावें। 4. आवेदक द्वारा 80'–00'' चौड़ी सेक्टर रोड का लाभ लेते हुए 38.66 मीटर ऊँचाई के मानचित्र प्रस्तुत किये गये है। मौके पर भूखण्ड के सामने 40'–00'' चौड़ी सड़क उपलब्ध है तथा प्रस्तावित 80'–00'' चौड़ी सेक्टर रोड़ के अनुसार 38.66 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये है परन्तु वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। 80'–00'' चौडी सेक्टर वर्तमान में मौके पर 40'–00'' चौडी सड़क उपलब्ध है। अतः 15 मीटर ऊँचाई तक के ही भवन मानचित्र जारी किये जावें एवं जब भी मौके पर 80 फीट सड़क बन जायें तब तदानुसार समस्त अनापत्तियों के प्राप्त होने के पश्चात् 38.66 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी किये जावें। 5. आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल 45413.56 वर्गमीटर है। विनियमानुसार उक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित एफ.ए.आर. की एवज में 5 प्रतिशत क्षेत्रफल निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के ही अन्य भूखण्ड खसरा नम्बर 63/1, ग्राम मानपुर गेट, तहसील फागी, जयपुर पर पूर्व में अनुमोदित अर्फोडेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में मूल भूखण्ड की आवासीय आरक्षित दर रूपये 2800/– प्रति वर्गमीटर है तथा अर्फोडेबल भूखण्ड खसरा नम्बर 63/1, ग्राम मानपुर गेट, तहसील फागी, जयपुर की आवासीय आरक्षित दर रूपये 4000/– प्रति वर्गमीटर है। अतः मूल भूखण्ड पर प्रस्तावित एफ.ए.आर. (78328.58 वर्गमीटर) के 5 प्रतिशत (3916.43 वर्गमीटर) के हिसाब से आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 63/1, ग्राम मानुपर गेट, तहसील फागी पर नियमानुसार EWS के 59 फ्लैट्स (1958.44 व.मी.) एवं LIG के 42 फ्लैट्स (1984.08 व.मी.) कुल 101 फ्लैट्स (3942.52 व.मी.) निम्न आयवर्ग हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 7. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
7.	170.7	भूखण्ड संख्या जी.एच. II, योजना सनसिटी,	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया

		ग्राम नींदड, जयपुर के संशोधित मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. उपायुक्त जोन से लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 2. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 3. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जावे।
8	170.8	खसरा नम्बर 467, 469, 474, 468/1, 473, 475, 542 व 544, ग्राम दहमीकलाँ, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित मनिपाल इन्टरनेशनल यूर्निवसिटी के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि बी.पी.सी. (बी.पी.) की बैठक दिनांक 06.9.2011 व 21.10.2011 में लिए गए निर्णय अनुसार मौके की स्थिति के अनुसार संशोधित स्थल मानचित्र जोन से प्राप्त किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें।
9	170.9	फार्म हाउस संख्या 21, योजना एस.डी.सी. फ्लोरेंस फार्म हाउस योजना, ग्राम राजपुरखान्या, तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित फार्म हाउस के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भूखण्ड जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना का भूखण्ड है। मौका रिपोर्टानुसार मौके पर उक्त भूखण्ड का डिर्माकेशन किया हुआ है एवं 18 मीटर चौडी सड़क का भी डिर्माकेशन किया हुआ है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 3. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 4. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
10	170.10	खसरा नम्बर 147, 147/1, 148, 149, 149/1, 180, 181, 181/444, 181/444/1, 182, 185, 198, 198/1, 199, 200, 200/1, 201, ग्राम श्यामपुरा बुहारिया, वाटिका रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर पर अर्फोडेबल हाउसिंग योजना के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. आवेदक द्वारा दिनांक 05.02.2015 को पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम श्यामपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर, जयपुर में अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के मॉडल 2 निजी सहभागिता योजना में त्रिपक्षीय अनुबंध की

			शर्तों के अनुसार आवास विकास लि., जयपुर विकास प्राधिकरण व रिजेन्सी बिल्डहोम एल.एल.पी. के मध्य बनायें गये EWS/LIG व MIG फ्लैटों के स्वामित्व के संबंध में मैसर्स रिजेन्सी बिल्डहोम एल.एल.पी. को जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 14 द्वारा अफोंडेबल हाउसिंग योजना के मॉडल 2 (52 प्रतिशत) का पट्टा जारी किया गया था जिसको जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.11.2012 को निजी विकासकर्ता से वापस जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में समर्पित करवा लिया गया था। अतः उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित जोन से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 2. प्रकरण में दिनांक 16.09.2014 को राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा Letter of Intent जारी किया गया, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक 15.03.2015 तक बढ़ाई गई है। 3. उक्त प्रकरण अफोंडेबल हाउसिंग मॉडल–2 का प्रोजेक्ट का है तथा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि कोई भी भवन मानचित्र शुल्क नहीं लिया जावेंगा। अतः अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क नहीं लिया जावें। 4. अफोंडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 की धारा 4.05 (viii) के अनुसार प्रार्थी से Quality Control Report बाबत् Third Party Inspection Report प्राप्त की जावें। 5. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 6. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
11	170.11	साउथ एक्स योजना ग्राम मथुरावाला व अजयराजपुरा, टौंक रोड़, जयपुर में प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुसार EWS/LIG वर्ग हेतु 23421.34 व.मी. प्रस्तावित एफ.ए.आर क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 1171.06 व.मी. निर्मित क्षेत्र आरक्षित किया जाना

अपेक्षित हैं। उक्त आदेश के अनुसार EWS/LIG का प्रावधान अन्य स्थान पर किये जाने पर आवासीय आरक्षित दर के अनुपात में अधिकतम 3 गुणा निर्मित क्षेत्र (3513.18 वर्गमीटर) में EWS/LIG का प्रावधान करवाया जाना अपेक्षित है। आवेदक द्वारा पूर्व अनुमोदित मानचित्र के एवज में भूखण्ड संख्या–82, भास्कर एन्क्लेव एफ–01 ग्राम–काठावाला, तहसील चाकसू जयपुर में 23 EWS 624.45 व.मी. प्रस्तावित किया गया था, जिसे यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भास्कर एन्क्लेव भूखण्ड संख्या 82 में 19 EWS क्षेत्रफल 515.85 वर्गमीटर एवं भूखण्ड संख्या–81, भास्कर एन्क्लेव एफ–01 ग्राम–काठावाला, तहसील चाकसू जयपुर में 55 EWS 1493.25 व.मी. तथा 19 LIG 883.69 वमी. निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये है। इस प्रकार कुल 3517.24 व.मी. निर्मित क्षेत्र EWS/LIG हेतु प्रस्तावित किया गया है। अपेक्षित 1171.06 व.मी. का तिगुणा 3513.18 व.मी. है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें।
4. संशोधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावें।
5. आवेदक द्वारा सड़क हेतु समर्पित भूमि के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिसके लिए भवन विनियम–2010 (संशोधित भवन विनियम–2011) के नियम 8.10 (ख) का बिन्दु संख्या–3 निम्नानुसार अवलोकनीय है।

जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम की मांग पर किसी भूखण्ड में से बिना क्षतिपूर्ति के जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम को भू–पट्टी समर्पित की जाने पर मूल भूखण्ड पर स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त समर्पित की जाने वाली भू–पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर एफ.ए.आर. उसी भूखण्ड पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

प्रश्नगत भूखण्ड का जविप्रा से जारी लीज डीड के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 10852.00 व.मी. आवंटित है, तथा लीज डीड के साथ संलग्न साईट प्लान में सडक हेतु समर्पित भू–पट्टी का क्षेत्रफल 741.47 व.मी. अंकित है। इस प्रकार मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 11593.47 व.मी. है। इस प्रकार भवन विनियम के उक्त प्रावधानानुसार मूल भूखण्ड पर

			स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. 11593.47 X 1.83 = 21216.05 व.मी. के अतिरिक्त 741.47 व.मी. सड़क हेतु समर्पित क्षेत्र का लाभ देने पर कुल स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. 21957.52 व.मी. बनता है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 7. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
		आयुक्त महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।	
12	170.12	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43, एवं भूखण्ड संख्या 46, 47, योजना स्कीम नम्बर 8, (महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.स.लि.), जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत भूखण्ड पुर्नगठित भूखण्ड है। जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र में मानक एफ.ए.आर. 1.33 तथा अधिकतम एफ.ए.आर. 2.25 दर्शाया गया है। भवन विनियमानुसार पुर्नगठित भूखण्ड पर मानक एफ.ए.आर. 1.2 माना जावें। 4. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 5. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
13	170.13	खसरा संख्या 62/4, 62/5 व 62/6/1, ग्राम मालपुरा डूंगरी तहसील जयपुर में प्रस्तावित रिसोर्ट भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।

			2. मौके पर निर्मित अस्थाई टीन शेड निर्माण को हटवायें जाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें। 3. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 4. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
14	170.14	क्लब हाउस भूखण्ड गुलमोहर गार्डनस् योजना ग्राम भाटावाला वाटिका रोड जयपुर में प्रस्तावित क्लब भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 3. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
15	170.15	खसरा नम्बर 854, 855, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 875, 856/1, 867/1, 873/1, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के उपविभाजित भूखण्ड के निर्मित ग्रुप हाउसिंग (आशादीप ग्रीन आर्चिड) के संशोधित पार्किंग प्लान के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. प्रस्तावानुसार कुल 882 ईसीयू अनुमोदित की गई। 2. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 3. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
16	170.16	भूखण्ड संख्या जी.एच. 1, गोकुल नगर योजना, ग्राम गोकुलपुरा एवं झोटवाड़ा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः

			अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 34,166.53 वर्गमीटर प्रस्तावित किया है, जो कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4.. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 + 0.5 (EWS/LIG) = 1.83 एवं बेटरमेन्ट लेवी के साथ असीमित (60 मीटर रोड, तालिका '9' अनुसार) अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 3376 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.83 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. प्रकरण में भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 5283.37 वर्गमीटर है। आवेदक द्वारा कुल 17838.56 वर्गमीटर एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है जिसकी एवज में नियमानुसार 5 प्रतिशत (891.92 वर्गमीटर) क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा मूल भूखण्ड पर ही बारहवें तल पर कुल 31 EWS फ्लैट प्रस्तावित किये गये है, जिनका कुल क्षेत्रफल 939.17 वर्गमीटर प्रस्तावित है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 5. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 6. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 7. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
17	170.17	खसरा नम्बर–240, 241, 246 ग्राम–सुखिया, तहसील सांगानेर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर कितनी चौड़ाई की सड़क निर्मित है। इस रिपोर्ट के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
18	170.18	भूखण्ड संख्या डी–23ए, पृथ्वीराज रोड, सी–स्कीम, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा से के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि

			सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.05 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. मौके पर पुराना भवन बना हुआ है, जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें। 5. प्रश्नगत भूखण्ड पृथ्वीराज रोड, सी–स्कीम, जयपुर पर विद्यमान है। भवन विनियम 2010 संशोधित 2012 की तालिका 6 के बिन्दु संख्या x के अनुसार "पृथ्वीराज रोड़–टौंक रोड, जक्शन से चौमू हाउस क्रोसिंग तक 20 मीटर। बेटरमेन्ट लेवी ली जाकर 30 मीटर तक ऊँचाई देय है।" आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर 30 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र प्रस्तुत किये है, जिन्हे अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। 6. भवन विनियमानुसार फ्लैट्स के प्रकरणों में स्टिल्ट तल के बने हुए क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्र क्लब हाउस हेतु उपयोग में किया जा सकेंगा, जो कि एफ.ए.आर. में शामिल नहीं होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में भूतल पर क्लब प्रस्तावित किया गया है जिसको एफ.ए.आर. की गणना में शामिल नहीं किया गया है तथा आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत भूतल मानचित्र में प्रस्तावित क्लब हाउस को भविष्य में केवल क्लब हाउस हेतु ही उपयोग में लिया जावेंगा, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 7. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 8. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
19	170.19	खसरा नम्बर 3531 से 3554, 3538 से 3540, 3551 से 3554, 3567 से 3571, ग्राम सांगानेर, खसरा नम्बर 123, ग्राम खोखावास, दुर्गापुरा, टौंक रोड़, जयपुर में भूखण्ड संख्या 2 के फेज प्रथम के प्रस्तावित समूह आवासीय के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:– 1. बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।

			2. संशोधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावें। 3. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावें। 4. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
20	170.20	भूखण्ड संख्या ए–2, स्टेच्यू सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जविप्रा द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के प्रार्थी को पत्र क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी 311 दिनांक 03.02.2015 द्वारा सुनवाई हेतु बुलाया गया था। प्रार्थी की ओर से निम्नांकित उपस्थित हुयेः– 1. श्री विशाल कोठारी 2. श्री नेमीचन्द जैन 3. एडवोकेट श्री एस.एस. होरा प्रार्थियों द्वारा समिति के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा यह कहा गया कि उन्होनें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.12.2014 को Retrospectively यानि पूर्व में स्वीकृत मानचित्रों पर लागू नहीं किया जा सकता तथा साथ ही उन्होंने इस संबंध में जविप्रा अपीलीय अधिकरण में वाद भी दायर कर दिया है जिसकी सुनवाई Presiding Officer के अवकाश पर रहने के कारण नहीं हो पाई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में एक वाद लम्बित है। प्रार्थी द्वारा समिति के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि जब तक माननीय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड बाबत कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस भूखण्ड पर 15 मीटर से ऊँचा भवन नहीं बनायेंगें।
21.	170.21	नीतिगत निर्णय।	वाद विचार विमर्श निम्नांकित नीतिगत निर्णय सर्वसम्मति से लिये गयेः– 1. आगन्तुकों की पार्किंग बाबतः– (i) वर्तमान भवन विनियमानुसार 25 प्रतिशत पार्किंग आगन्तुकों हेतु निर्धारित है परन्तु वास्तविकता में आवासीय परिसरों में आगन्तुकों को पार्किंग उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया कि 750 वर्गमीटर से अधिक सभी आवासीय भूखण्डों में अग्र सेटबैक में बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोडकर बनाई जावें ताकि इस 6

			मीटर भूमि में आगन्तुकों की पार्किंग की जा सकें। (ii) इस निर्णय को आज बैठक में रखें गये सभी प्रकरणों में व भविष्य के सभी प्रकरणों में लागू किया जावें। (iii) जिन प्रकरणों में पूर्व में निर्णय हो चुका है एवं भवन मानचित्र जारी नहीं हुये है उनमें प्रार्थी को विकल्प दिया जावें और यदि प्रार्थी सहमत हो तो उपरोक्तानुसार मानचित्र जारी किये जावें। 2. **अधिवास के संबंध में:-** (i) अभी तक आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है जिससे मौके पर प्रार्थी द्वारा आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र के पश्चात नियम विरूद्ध निर्माण कर लिया जाता है। अतः निर्णय लिया गया कि आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से बन्द किया जावें एवं इस संबंध में भवन विनियमों में यथोचित संशोधन हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जावें।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

18/2/15

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी-407

दिनांक:-18/2/2015

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय), जविप्रा, जय पुर।
5. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन.........जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर ।

18/2/15

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 170वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष,
2.	श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य,
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य,
4.	श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य,
5.	मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

6. श्री ओ.पी. जांगिड़, उपायुक्त जान–06, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–09, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त जोन–14, जावेप्रा, जयपुर।
9. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री अर्पित संचेती, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री नारायण सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन–05, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री जयभगवान, सहायक नगर नियोजक, जोन–09, जविप्रा, जयपुर।
13. संगीता पटियाला, सहायक नगर नियोजक, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री योगेश सटोलिया, सहायक नगर नियोजक, जो–12, जविप्रा, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)